

कोटा (राज.)
वन संरक्षक
रवि कुमार शीना

महोदय

<p>FRA सैटिकेट में खसरा नं० प्रस्तावित भूमि से अलग है।</p>	<p>7) प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या K में यूजर एजेंसी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किंतु प्रति में 74 से 0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अतः संशोधित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।</p>
<p>नॉन वीनियर की जाह पॉलिंग लिखना है।</p>	<p>1) प्रस्ताव के पार्ट 1 बिंदु संख्या A-1 (VI) में यूजर एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण 0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 हेक्टर क्षेत्र गैर वन भूमि में यूजर एजेंसी द्वारा अंकित किया गया है उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।</p>

एवं 7 की पूर्ति कर पुनः भिजवावे।
उपरोक्त विषयान्वित उक्त संबंध में लगाये गये आक्षेपों में निम्नानुसार बिन्दु संख्या 1 महोदय,

विषय :- Land For Extension of Bhamasha Krishi Mandi Samiti

सादर,
कृषि उपज मण्डी,
कोटा।

निमित्त

क्रमांक एक (तकनीकी)/उपस/कोटा/2021-22/ 8556

दिनांक : 13.04.2022

(दस्तावेज नम्बर 0744-2322747 ई मेल आई. डी. dtf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

राजमवन रोड, सिविल लाईन्स, नयापुरा, जिला - कोटा 324001

11 कायालय वन संरक्षक, कोटा (राज.) 11

वन विभाग
राजस्थान सरकार

